प्रेस विज्ञप्ति

27-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता आंचलिक कार्यालय, ने 24.09.2025 को अनंतिम रूप से 155 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 212 अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं, जो धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसकी संबंधित कंपनियों/फर्मों और सैय्यद जियाजुर रहमान सहित व्यक्तियों के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के कई जिलों में स्थित भूमि के भूखंड, अपार्टमेंट, होटल, रिसॉर्ट और फैक्ट्री प्लॉट शामिल हैं। जाँच के दौरान ये संपत्तियाँ निवेशकों से 1600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ीपूर्ण एकत्र करके प्राप्त अपराध की आय के रूप में पहचानी गईं, जिन्हें अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित उच्च रिटर्न के झूठे वादों से गुमराह किया गया था।

ईडी ने एलएफएस ब्रोकिंग, सैय्यद जियाजुर रहमान और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। इसके अलावा, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में सैय्यद जियाजुर रहमान और एलएफएस समूह के खिलाफ कई प्राथमिकी भी दर्ज किए गए हैं। ईडी की जाँच से पता चला कि सैय्यद जियाजुर रहमान, दिलीप कुमार माईती, मोहम्मद अनरुल इस्लाम और उनके सहयोगियों सहित मास्टरमाइंडों ने एसईबीआई पंजीकरण प्रमाणपत्रों में हेरफेर करके अवैध निवेश योजनाओं का संचालन किया, और निवेशकों को उनके निवेश पर 2-3% तक की गारंटीकृत मासिक रिटर्न प्रदान करने के नाम पर निवेशकों के धन को जमा करने और उसे भटकाने के लिए संस्थाओं के जाल का उपयोग किया। आरोपियों ने शेयर ब्रोकिंग और अन्य निवेश गतिविधियों के लिए एसईबीआई के साथ पंजीकृत कंपनी, एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अवैध व्यवसाय संचालित किया।

हालांकि, उन्होंने जानबूझकर मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे नामों वाली कई अन्य फर्मों को भी स्थापित किया। निवेशकों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे एसईबीआई-पंजीकृत कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में धन एलएफएस ब्रोकिंग और पीएमएस सर्विसेज और अन्य इसी नाम की फर्मों को भेजा गया था। इससे पहले, ईडी ने मास्टरमाइंड सैय्यद जियाजुर रहमान सहित छह लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अलावा, इस मामले में 10 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता में अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई है।

आगे की जांच चल रही है।

आरामबाग होटल और रिसॉर्ट्स- आरामबाग, पश्चिम बंगाल।